### No. 315-01/2013-STG III Government of India

# Ministry of Communications & IT Department of Telecommunications

Sanchar Bhawan, 20 Ashoka Road New Delhi, the 19th February, 2014

#### ORDER

In continuation of this office order of even no. dated 07.05.2013, the President is pleased to grant Non-functional Up-gradation to Shri K Vidyadhara Rao (Staff No. 20294), an officer of JAG of ITS Group 'A' in the Senior Administrative Grade of ITS Group-A in the Pay Band-4 of ₹ 37,400-₹ 67,000/- with grade pay of ₹ 10,000/- w.e.f. 21.11.2013; i.e. from the date of expiry of penalties imposed on the officer and until further order. On Non-functional Up-gradation in SAG of ITS Group-A, there will be no change in the place of posting of Shri K Vidyadhara Rao and he will continue to remain in his present place of posting.

- 2. All other terms and conditions in DoT order of even no. dated 07.05.2013 will remain unchanged. The officer may exercise his option for fixation of pay under relevant provision of FR-22(I)(a)(1) within one month from the date of promotion.
- 3. This order is being issued after securing necessary vigilance clearance for this purpose from Vigilance Branch of DoT HQ, therefore, there is no need to seek fresh vigilance clearance from DoT, HQ. However, in case it comes to the notice of the Controlling Authority that any disciplinary/prosecution case is pending against the officer or the officer is under suspension, or any punishment of stoppage of increment etc is in operation against the officer, he should not be granted Non Functional Up-gradation without obtaining the specific approval of this Department. Information in this regard may be brought to the notice of the Department forthwith.

(N R Bishnoi) Director (Staff) Tel - 23036645/Fax-23372560

#### Copy to:

- 1. PS to MOC&IT/MOS(C&IT)(D)/ Chairman (TC)
- 2. Member (S)/(T), Advisor (T)/(O), DoT
- 3. Sr. DDG (TERM), DoT HQ, New Delhi
- 4. DDG (TERM), Pune, Maharashtra
- 5. DDG (Estt.) /Director (Staff)/US (SGT) DoT
- 6. Officers concerned/CAO concerned.
- 7. US (Vig. II)/ CS to Advisor (HRD), DoT/ AO(STG-I), DoT

8. Order bundle/Director (IT) for uploading this order on DoT website.

(R C Ahuja)

Under Secretary to the Govt. of India Ph. No.23036226

## सं 315-01/2013-एस टी जी -III भारत सरकार संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20 अशोका रोड

नई दिल्ली दिनांक : 19 फरवरी, 2014

20

आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.05.2013 की निरंतरता में, राष्ट्रपति, भारतीय दूरसंचार सेवा समूह 'क' के किन्छ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री के विद्याधरा राव (स्टाफ सं. 20294) को 21.11.2013 से; अर्थात अधिकारी पर लगाए गए शास्ति के समाप्त होने की तिथि से, भारतीय दूरसंचार सेवा समूह 'क' के विरष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पे बैंड-4 के ₹ 37,400-67,000/- के वेतनमान में (₹ 10,000/- ग्रेड पे के साथ) गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन प्रदान करते हैं। श्री के विद्याधरा राव के गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन होने पर उनके पदस्थापना के स्थान में कोई बदलाव नहीं होगा और वे अपने वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर बने रहेंगे।

- 2. इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.05.2013 की अन्य सभी शर्ते एवं नियम अपरिवर्तित रहेंगी। अधिकारी, अपना वेतन नियत करने हेतु, FR-22(I)(a)(1) के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार एक महीने के भीतर अपना विकल्प प्रयोग कर सकते हैं।
- 3. यह आदेश सतर्कता शाखा, दूरसंचार विभाग मुख्यालय से इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सतर्कता निकासी प्राप्त करने के पश्चात जारी किया जा रहा है, अतः दूरसंचार विभाग मुख्यालय से नयी सतर्कता निकासी मांगने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यदि नियंत्रण अधिकारी को यह पता चलता है कि उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक/ अभियोजन मामला लंबित है अथवा, अधिकारी निलांबनधीन या उसकी वेतन वृद्धि इत्यादि रोके जाने संबंधी कोई कार्यवाही उसके खिलाफ चल रही है, तो उसे विभाग के विशिष्ट अनुमोदन के बगैर गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इससे संबंधित सूचना तत्काल विभाग के आलोक मे लायी जाए।

(एन आर विशनोई)

निदेशक (अमला )

दूरभाष सं. 23036645 फ़ैक्स -23372560

प्रति सेवा में,

- संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री/संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डी)/अध्यक्ष (दूरसंचार आयोग) के निजी सचिव
- 2. सदस्य (सेवाएं)/(तकनीक), सलाहकार (तकनीक)/(प्रचालन), दूरसंचार विभाग
- 3. वरिष्ठ उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग
- 4. उप महानिदेशक (टीईआरएम), पुणे, महाराष्ट्र
- 5. उप महानिदेशक (स्थापना)/निदेशक (अमला)/अवर सचिव (एस जी टी), दूरसंचार विभाग
- 6. संबद्ध अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी
- 7. अवर संचिव (सतर्कता-11)/ सलाहकार (एचआरडी), दूरसंचार विभाग के गोपनीय सचिव/ लेखा अधिकारी (एस टी जी-1), दूरसंचार विभाग
- 8. आदेश बंडल/ निदेशक (आई टी), इस आदेश को दूरसंचार विभाग के वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए

(आर सी आहुजा)

भारत सरकार के अवर सचिव